

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ जिला चूरु

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. गौरव सैनी आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:- दावा संख्या 82/2013

निर्णय दिनांक :- 10.12.19

1. पूर्णमल पुत्र श्री मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सीतसर तहसील रतनगढ़ जि. चूरु  
... वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र जगुराम जाति ढोली निवासी ग्राम लोहा तहसील रतनगढ़ जिला चूरु
2. श्रीमती संतोष पत्नी स्व. पन्नालाल पुत्री सत्यनारायण जाति ढोली नि. लोहा हाल गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़
3. श्रीमती किशनादेवी पत्नी स्व. बंशीलाल जाति ढोली निवासी ग्राम लोहा हाल ब्यास कोलोनी शिवबाड़ी चौराहा के पास बीकानेर
4. हेमराज पुत्र स्व. बंशीलाल जाति ढोली निवासी ग्राम लोहा हाल ब्यास कोलोनी शिवबाड़ी चौराहा के पास बीकानेर
5. श्रीमती कमला पुत्री सोहनलाल धर्मपत्नी रामूराम जाति ढोली निवासी ढिगारिया तह. सुजानगढ़
6. श्रीमती लिछमा उर्फ संतोष पुत्री सोहनलाल पत्नी शिवराज जाति ढोली नि. स्यानण तह. सुजानगढ़
7. किशनलाल पुत्र श्यामलाल जाति ढोली निवासी ग्राम लोहा तहसील रतनगढ़ जिला चूरु
8. संजयकुमार पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम लोहा तहसील रतनगढ़
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ़ जिला चूरु  
.....प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

1. श्री देवेन्द्र कुमार चोटिया अभिभाषक वादी
2. श्री दीवानसिंह अभि. प्रतिवादी सं. 01
3. पैरोकार राज

दावा विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से प्रस्तुत यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कृषि भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 29.5.2017 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया। वादी एवं प्रतिवादी गण की संयुक्त खातेदारी के खेत ख.नं. 95 तादादी 2.3016 हैक्टेयर व ख.नं. 759/190 तादादी 0.3415 हैक्टेयर रोही ग्राम लोहा तहसील रतनगढ़ में स्थित है। तहसीलदार, रतनगढ़ से मौके की स्थिति के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार की ओर से दिनांक 16.10.2019 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।



*Signature*  
उप खण्ड अधिकारी  
रतनगढ़ (चूरु)

2. विभाजन प्रस्ताव पर बहस विद्वान अभिभाषकगण एवं पैरोकार राज सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभाती अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति नहीं होना जाहिर किया गया है। पैरोकार राज ने भी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता एवं लगान कायम करने में कोई आपति नहीं की है। वादगत भूमि की किस्म एक जैसी है तथा रेकार्डेड हिस्से का मौके के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा वादी अंतिम रूप से डिकी किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादी अंतिम रूप से डिकी किया जाता है। वादगत भूमि का खाता एवं लगान का विभाजन निम्न प्रकार से करने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	क्षेत्रफल है. में	किस्म
1.	पूर्णमल पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी सीतसर तहसील रतनगढ खातेदार	95 मीन दक्षिण पश्चिमी	0.4758 है.	बा.सो.
2.	किशनलाल पुत्र जगूराम जाति ढोली निवासी लोहा तहसील रतनगढ खातेदार	95 मीन उत्तरी पूर्वी	0.6608 है.	बा.सो.
3.	कमला पुत्री सोहन हि. 86/3013, किशन लाल पुत्र गीतादेवी हि. 23/655, बंशीलाल पुत्र सोहन हि. 2643/15065, लिछमा पुत्री सोहन हि. 86/3013, सन्तोषदेवी पत्नि पन्नालाल हि. 6607/15065 जाति ढोली, संजयकुमार पुत्र चिमनाराम मेघवाल हि. 4426/15065 नि० लोहा खातेदार	95 मीन शेष भूमि 759/190	1.1650 है. 0.3415	बा.सो. बा.सो.
	योग	किता 2	1.5065	बा.सो.

तहसीलदार रतनगढ डिकी का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। अंतिम पर्चा डिकी नियमानुसार जारी हो।

आदेश आज दिनांक 10.12.19 को बसरे ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. गौरव सैनी)  
उप खण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
रतनगढ़ (चूरु)  
रतनगढ़ (चूरु)

